UPPG010064912022

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 5, प्रतापगढ़ ।

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्नेह लता सिंह, (एच०जे०एस०)

J.O.CODE–U.P.6376

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 3167/2022

विनय भूषण मिश्रा पुत्र अश्वनी उर्फ अशोक मिश्र आयु लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम वीरापुर कमलानगर थाना सोरांव जिला प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मु0 अ 0 सं0 : 558/2022
धारा : 386, 504, 506 IPC
व 67 आई.टी. एक्ट
थाना : कोतवाली नगर।
जिला : प्रतापगढ़ ।

01.12.2022

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विनय भूषण मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–558/2022 धारा– 386, 504, 506 IPC व 67 आई.टी. एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा/पीड़िता ने दिनांक 15.06.2022 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि वह विनय मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा निवासी ग्राम वीरापुर कमला नगर, जिला प्रयागराज के विरूद्ध मु.अ.सं. 626/2020 अंतर्गत धारा 376, 328, 506 भा.द.सं. के तहत थाना–सोरांव जिला प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करायी थी जिस सम्बन्ध में विनय भूषण मिश्रा लगभग 1 वर्ष जेल में रहा है और पुनः जेल से छूटने के बाद विनय भूषण मिश्रा अपने बड़े भाई कुलभूषण मिश्रा तथा अपने दोस्त नागेश पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय व प्रेम प्रकाश यादव पुत्र लालचन्द्र यादव आपस में मिलकर प्रार्थिनी के समझौता न करने पर हत्या करने की धमकी के साथ–साथ उपरोक्त 4 लोग मिलकर अपने मोबाइल नं. को इण्टरनेशनल काल बनाकर और नम्बरों के साथ वीडियो काल के जरिये मैसेज प्रार्थिनी के मोबाइल नम्बर 6389101132 पर अश्लील भाषा का प्रयोग अश्लील वीडियो का निर्वस्त्र होकर बराबर फोटो भेजने की मांग करते रहते है जिस सम्बन्ध में प्रार्थिनी के पास साक्ष्य है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रही है। उपरोक्त 4 लोगों द्वारा भेजे गये गंदे मैसेज व गंदी फोटो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त चारों लोग बराबर प्रार्थिनी से रंगदारी के रूप में 5,00,000/–(पांच लाख) रूपये की मांग कर रहे है। रंगदारी न देने पर 1 हफ्ते के अंदर हत्या की धमकी दे रहे है। जिसका वाट्स काल रिकार्डिंग प्रार्थिनी के पास सुरक्षित है। प्रार्थिनी उपरोक्त चारों लोग के कृत्य से मानसिक व शारीरिक रूप से

पीड़ित है और कभी भी प्रार्थिनी की हत्या हो सकती है ये लोग गैंग बनाकर प्रार्थिनी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे है। उपरोक्त लोग प्रार्थिनी की गंदी तस्वीरे बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की बराबर धमकी दे रहे है तथा प्रार्थिनी को ब्लैकमेल करते है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें। जिस पर पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 16.06.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है तथा स्थानीय थाना की पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है। प्रार्थी को विश्वास है कि पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार कर थाने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके नफा नाजायज वसूलना चाहती है। अग्रिम जमानत पर छूटने पर प्रार्थी विवेचना में पूरा सहयोग करेगा। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी उक्त मुकदमे के संबंध में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत नहीं किया है न विचाराधीन हैं न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी बेगुनाह है उसे रंजिश असत्य कथनों के आधार पर महज हैरान व परेशान करने की गरज से झूठा फंसाया गया है। कानूनन या वाक्यातन प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा कभी भी अभियोगिनी के मोबाइल पर न तो कोई काल की गयी है न ही किसी प्रकार का कोई मैसेज या वीडियो कालिंग ही की गयी है। अभियोगिनी चालाक किस्म की महिला है तथा प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाकर उससे जबरन अवैध सम्पत्ति अर्जित करना चाहती है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के साथ विवाह करने के लिए अभियोगिनी व उसके घर वालों ने प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव विवाह हेतु स्वीकार भी किया गया, अभियोगिनी स्वच्छंद विचाराधारा के तमाम लोगों के सम्पर्क की जानकारी प्रार्थी को हुई तो उसने शादी से इंकार कर दिया। उसके फलस्वरूप अभियोगिनी ने बलात्कार का मुकदमा प्रार्थी सहित परिवार के सदस्यों के ऊपर करा दिया। प्रार्थी ने अभियोगिनी से विवाह कर शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया उसके बाद अभियोगिनी अपने शातिराना स्वभाव के कारण प्रार्थी के ऊपर दबाव बनाने लगी कि वह अपने पिता से तय कर सारी अचल सम्पत्ति उसके नाम बैनामा करा दे अन्यथा मुकदमें दर्ज कराकर पूरे परिवार को जेल में सड़ा देगी। मुकदमा उपरोक्त के सहअभियुक्त की नियमित जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता नहीं है।

सुना। अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई मैसेज या वीडियों कालिंग नहीं की है। अभियोगिनी प्रार्थी को झूठा फंसाकर जबरन अवैध सम्पत्ति अर्जित करना चाहती है अभियोगिनी उसकी पत्नी है और अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा को गंदे मैसेज व अश्लील वीडियो भेजा गया है तथा पांच लाख रूपये रंगदारी मांगी गयी है और न देने पर जान से मारने की धमकी दिया गया है। अभियुक्त का थाने से आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत हुआ है और अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त विनय भूषण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो निम्नलिखित हैः–

1–मु.अ.सं. 626/20 धारा 376, 328, 506 भा.द.सं. थाना सोरांव, प्रयागराज।

2–मु.अ.सं. 1091/21 धारा 67 आई.टी. एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़।

3–मु.अ.सं. 284/22 धारा 504, 506 भा.द.सं. व 67 आई.टी. एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़।

अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को गंदे–गंदे मैसेज भेजने व अश्लील वीडियो भेजने का दबाव बनाने तथा पांच लाख रूपये की रंगदारी मांगने और न देने पर हत्या कर देने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपनी पत्नी बताया गया है, किन्तु पीड़िता की ओर से अभियुक्त की पत्नी होने से इंकार करते हुए कथन किया है कि उसका अभियुक्त के साथ कभी विवाह नहीं हुआ फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया है पीड़िता ने बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सम्बन्धित थाने से प्राप्त हुए है। प्रश्नगत प्रकरण के मामलों में यदि अग्रिम जमानत दी जाती है तो समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में बढ़ोत्तरी होगी अतः अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त विनय भूषण मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–558/2022 धारा–386, 504, 506 IPC व 67 आई.टी. एक्ट , थाना कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक : 01–12–2022
प्रतापगढ़

(स्नेह लता सिंह)
J.O.CODE–U.P.6376
विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 5, प्रतापगढ़ ।

Digitally signed by SNEH LATA SINGH
Date: 2022.12.01 17:10:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court